FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

खेमचन्द वगैरह बनाम कालूराम वगैरह

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर ...01 / 2022.. सन................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2023	वादीगण / प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र बावत आदेश 23 नियम 1 उप. नियम 4 (ख) प्रस्तुत होने पर तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित आये। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद पक्षकारान की आपसी सहमति से विड्रा कर कानूनी कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र का अब आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 06.01.2022 को जारी की गई अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (**Vacate**) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 03.07.2023 प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प जटवाडा में लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी उपखण्डअधिकारी मंडावर(दौसा)	वादीगण खेमचन्द यो[illegible] [illegible] [illegible] g.d. [illegible] प्रतिवादी कालूराम g.d. [illegible] Adv 03/07/23